

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 44/32/94/विस-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/अगस्त

1. आयुक्त,  
लोक शिक्षण,  
म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त,  
राज्य शिक्षा केन्द्र,  
म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त,  
आदिवासी विकास विभाग,  
म.प्र. भोपाल।

विषय :- प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना।

राज्य शासन प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये लागू सुरक्षा बीमा योजना हेतु पूर्व के जारी आदेश/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रदेश के कक्षा 01 से 12 तक के शासकीय शालाओं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल दिनांक 20/अगस्त 2007

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 44/32/94/विस-2  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग।
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
4. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
5. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.
7. रागस्त, संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त तनागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
10. क्षेत्रीय प्रमुख, रिलायन्स जनरल इश्योरेंस कम्पनी, एफएफ 16 सी ब्लाक मानसरोवर  
काम्पलेक्स भोपाल।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की आंरो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
अग्रंथित।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

## विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना

परिशिष्ट

प्रदेश में शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बच्चों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू की जा रही है। वर्ष 2007-2008 हेतु बीमा आवरण रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

1. बीमा आवरण की सीमा : म.प्र. के सम्पूर्ण शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के सभी छात्र इस विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना में आवरित होंगे।
2. समय सीमा :- बीमा आवरण एक वर्ष हेतु पूरे देश में कहीं भी 12 माह 24 घंटे (दिनांक 1 अगस्त 2007 से 31 जुलाई 2008 अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ड्राफ्ट बनाने की तिथि से 365 दिन तक) जो भी बाद में हो बीमा कवर उपलब्ध होगा।
3. बीमा प्रीमियम एवं उसकी अदायगी

(1) प्रति विद्यार्थी वार्षिक प्रीमियम रुपये 1/- देय होगा। जिला शिक्षा अधिकारी 31 जुलाई 2007 तक जिले के समस्त स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्यानुसार प्रति विद्यार्थी रु. 01/-के मान से बीमा प्रीमियम बीमा कम्पनी को बैंक ड्राफ्ट द्वारा संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार पत्र के साथ अदा करेंगे। जिसके लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कार्यालय भोपाल द्वारा एक मास्टर पॉलिसी जारी की जाएगी। जिलों के लिए एक शिड्यूल बना लिया जाएगा तथा जैसे-जैसे ड्राफ्ट/राशि प्राप्त होती जाएगी तदनुसार जिलों के लिए पॉलिसी (शिड्यूल) जारी की जाएगी तथा इन जिलों के लिए जारी होने वाली पॉलिसी (शिड्यूल) में मुख्य पॉलिसी का नंबर अंकित किया जाएगा। पॉलिसी अवधि ड्राफ्ट बनाने की तिथि से प्रभावी होकर 365 दिन तक लागू रहेगी।

परिशिष्ट दो पर अंकित रिलायंस कम्पनी की शाखाओं को उनके सनक्ष अंकित जिलों के लिए अधिकृत किया जाएगा। संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी उनके लिए निर्धारित रिलायंस कम्पनी के शाखा कार्यालय में राशि जमा करके उक्तानुसार संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा पॉलिसी प्राप्त करेंगे। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित शाखा कार्यालय में पंजीकृत डाक से परिशिष्ट-एक अनुसार संलग्न पत्र तथा जिले में अध्ययनरत छात्र संख्या के मान से प्रतिछात्र 1.00 (रुपये एक मात्र) की दर से ड्राफ्ट निजवायेंगे, ड्राफ्ट बनवाने की तिथि से बीमा आवरण प्रारंभ हो जायेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि ड्राफ्ट बनाने के आगामी कार्य दिवस को ही जिला शिक्षा अधिकारी इसे डिस्पेंच कर दें। दावा प्रकरण उक्त कार्यालयों में जमा कराए जा सकेंगे।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी छात्र बीमा सुरक्षा हेतु वर्तमान वर्ष की छात्रों की संख्या अनुसार बीमा प्रीमियम बीमा कम्पनी में जमा कर पॉलिसी (शिड्यूल) प्राप्त करेंगे। बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिये जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यकता अनुसार स्थानीय निधि का उपयोग कर सकेंगे तथा बाद में उन छात्रों से प्राप्त राशि से इसका समायोजन किया जा सकेगा।

(3) इस बीमा योजना के हितग्राही छात्रों को जिलेवार अनाम समूह छात्रों के लिये बीमा पॉलिसी (शिड्यूल) जारी की जायेगी जो ड्राफ्ट बनाने की तिथि से प्रभावी होकर 365 दिन तक लागू रहेगी।

(4) बीमा कम्पनी, प्रीमियम के भुगतान के उपरान्त ही बीमा जोखिम कवर करेगी।

(5) 31 जुलाई 2007 के बाद प्रवेश दिये गये छात्रों का प्रीमियम छात्रों के प्रवेश उपरान्त बीमा कम्पनी को भेजा जायेगा एवं उर्ती दिनांक से उन्हें पॉलिसी (शिड्यूल) में सम्मिलित किया जायेगा और जोखिम (कवर) पॉलिसी (शिड्यूल) की अवधि ड्राफ्ट बनाने की तिथि से प्रभावी होकर 365 दिन तक लागू रहेगी।

4. जिला बीमा निधि के संचालन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला मुख्यालय के विकासखंड शिक्षाधिकारी	सदस्य सचिव
3. प्रयाग उत्कृष्ट विद्यालय	सदस्य
4. प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय 01- (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित)	सदस्य
5. प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय-01 (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित)	सदस्य

5- क्षतिपूर्ति भुगतान -

बीमा पॉलिसी के चलते छात्र के साथ हुई दुर्घटना की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा निम्नानुसार भुगतान किया जावेगा :-

(1)	दुर्घटनावश मृत्यु	35000/-
(2)	दुर्घटनावश स्थाई पूर्ण अशक्तता या दो अंगो, दो आंख, दोनो हाथों या दोनो पैर की पूर्ण क्षति	35000/-
(3)	एक अंग की पूर्ण क्षति, आंख, हाथ, पैर की क्षति	17500/-
(4)	दुर्घटनाग्रस्त विद्यार्थी की पुस्तकों की क्षति/गुमने पर	250/-
(5)	चिकित्सा खर्च (यदि दावा उपरोक्त जोखिम की परिधि में है तो)	1000/-

6- दावा प्रक्रिया

बीमा में आवरित छात्र के साथ दुर्घटना घटित होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति बाबत आवश्यक दस्तावेज बीमा कम्पनी को प्रेषित करना होंगे। प्रक्रिया व दस्तावेज का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (i) दुर्घटना होने के अधिकतम 15 दिनों के अंदर बीमा कम्पनी के कॉल सेंटर नंबर 30338282 (टोल फ्री)/बीमा कार्यालय पर सूचित किया जाएगा।
- (ii) किसी बच्चे के साथ दुर्घटना घटित होने की स्थिति में शाला के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बीमा कम्पनी को प्रकरण भेजेंगे। इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भी देंगे।
  - (क) बीमा कम्पनी के द्वारा जारी क्लेम फॉर्म (दावा प्रपत्र) पूर्ण स्पष्ट अक्षरों में भरा हुआ एवं प्रधानाध्यापक / प्राचार्य / शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणित।
  - (ख) मेडीकल रिपोर्ट, बिल, एक्सरे सहित।
  - (ग) उपस्थिति पत्रक प्राचार्य / शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणित।
  - (घ) विद्यार्थी के दुर्घटना की प्रथम पुलिस सूचना की प्रति (एफ.आई.आर.) एवं पी.एम. रिपोर्ट की प्रति केवल विशिष्ट परिस्थितियों में यदि एफ.आई.आर. तथा पी.एम. रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पाती है तो प्राचार्य / प्रधान अध्यापक का शपथ पत्र संलग्न किया जायेगा जो मान्य होगा।
  - (च) पंचनामा, प्रधानाध्यापक / प्राचार्य / शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणित।
  - (छ) अंग भंग की स्थिति में चिकित्सक द्वारा जारी पूर्ण अशक्तता प्रमाण-पत्र तथा चिकित्सक द्वारा प्रमाणित फोटो।
- (iii) शाला में एक माह या उससे अधिक की अनुपस्थिति में विद्यार्थी या उसके परिवार द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा।
- (iv) बीमा कम्पनी पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर बीमा दावा स्वीकृत कर भुगतान का चेक माता-पिता के नाम से संबंधित विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजेगी।

7- अन्य

1. बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक माह की 30 तारीख को संबंधित माह में कुल प्राप्त, निराकृत, अनिराकृत प्रकरणों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को दी जाएगी जिसकी मासिक तनीक्षा की जाये।
2. इस पालिसी के अंतर्गत अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति किसी भी विधि विधान जैसे कि मांटर दुर्घटना आदि के अंतर्गत मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट-एक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला.....

क्रमांक/वि.सु.बीमा/2007-2008/  
प्रति,

.....दिनांक

शाखा प्रबंधक,  
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं.लि.  
भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर  
मध्यप्रदेश।

विषय :-जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ..... के अन्तर्गत विद्यालयों के लिये विद्यार्थी सुरक्षा बीमा पॉलिसी बाबत।

महोदय,

हमारे अधीन सभी शासकीय विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या ..... है, जिसमें कक्षा एक से दारहवीं तक के सभी विद्यार्थी शामिल हैं एवं जिनका पूर्ण रिकार्ड हमारे यहां सुरक्षित है। कृपया उपरोक्त अनाम विद्यार्थी संख्या के लिये विद्यार्थी सुरक्षा बीमा पॉलिसी जारी करने का कष्ट करें।

इस बाबत प्रति विद्यार्थी रुपये 1.00 (रुपये एक मात्र) के मान से राशि रु.....  
(अंकन राशि - रुपये ..... ) का  
चैक/ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक..... बैंक .....  
आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

धन्यवाद,

जिला शिक्षाधिकारी,  
जिला.....  
सील एवं हस्ताक्षर

शाखा कार्यालयों में सम्मिलित राजस्व संभाग/जिला

शाखा का नाम	शामिल राजस्व संभाग/जिला
<p>कार्यालय- शाखा प्रबंधक रिलायंस जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एफ.एफ.- 16 ब्लाक-सी मानसरोवर कमर्शियल कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, हबीबगंज, होशंगाबाद रोड, भोपाल, म.प्र.। दूरभाष क्रमांक (0755) 3918040, 3918022, 3918033</p>	<p>भोपाल, सागर के समस्त जिले</p>
<p>कार्यालय- शाखा प्रबंधक रिलायंस जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 101/102 डी.एम.टावर नारायण कोठी के पास, इन्दौर म.प्र.। दूरभाष क्रमांक (0731) 3207939, 3917929</p>	<p>उज्जैन, इन्दौर के समस्त जिले</p>
<p>कार्यालय- शाखा प्रबंधक रिलायंस जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वितीय तल ओरियन टावर प्लॉट नं. 11 ग्वालियर म.प्र.। दूरभाष क्रमांक (0751) 3209957</p>	<p>ग्वालियर के समस्त जिले</p>
<p>कार्यालय- शाखा प्रबंधक लायंस जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड नूजा कॉन्वलेक्स, ग्राउण्ड फ्लोर, ण्डर्ड ऑटो ऐजेंसी (नॉरुती शोरूम) लपुर हॉस्पिटल रोड, लपुर म.प्र. दूरभाष क्रमांक (0761) 3205860, 3205863</p>	<p>जबलपुर, रीवा के समस्त जिले</p>